

बिहार सरकार  
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

संख्या- वि० प्रा० (II) नियुक्ति-02/2024/ 1185 /पटना, दिनांक - 11/03/2025

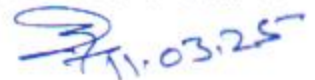
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या-07/2022 के आलोक में आयोग के पत्रांक-85 दिनांक-25.01.2024 एवं पत्रांक-121 दिनांक-11.03.2024 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में निम्नांकित अभ्यर्थी को वेतन लेवल-10 (प्रवेश वेतन-57,700/-रु०) एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य भत्तों के साथ बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा के अधीन सहायक प्राध्यापक (कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इंजी०) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-9 में अंकित संस्थान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

| क्र० | अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं स्थायी पता                                                                                        | जन्म तिथि  | आरक्षण कोटि | अनुशसित कोटि | संयुक्त मेधा क्रमांक | गृह जिला  | फोटो                                                                                  | पदस्थापित अभियंत्रण महाविद्यालय का नाम                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                  | 3          | 4           | 5            | 6                    | 7         | 8                                                                                     | 9                                                         |
| 1.   | अगम कुमार<br>(रौल नं० 701058),<br>पिता- शिव शंकर राय,<br>पता- ग्राम+पोस्ट- भिरहा,<br>थाना- रोसडा, जिला-<br>समस्तीपुर, बिहार-848216 | 18.05.1997 | 07          | 07           | 107                  | समस्तीपुर |  | श्री फणीश्वर नाथ रेणु<br>अभियंत्रण महाविद्यालय,<br>अररिया |

- इन्हें मासिक वेतनादि एवं अन्य वित्तीय लाभ सहायक प्राध्यापक (कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इंजी०) के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।
- नवनियुक्त सहायक प्राध्यापक (कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इंजी०) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर अधिसूचित संस्थान में निश्चित रूप से प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमानुसार होगी।
- अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों एवं आवेदन में अंकित की गई सूचना गलत पाये जाने पर बिना कारण पृच्छा के इनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा उम्मीदवार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- इनकी यह नियुक्ति सेवा सम्पुष्ट होने तक अस्थायी होगी।
- नवनियुक्त सहायक प्राध्यापक (कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इंजी०) जो वर्तमान में किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें योगदान पत्र के साथ संबंधित विभाग/संस्थान का विरमित आदेश/त्यागपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- पूर्व से सरकारी सेवा/लोक उपक्रम में नियुक्त अभ्यर्थी अपने नियोक्ता से विरमित होने के पश्चात् ही अधिसूचित पद पर योगदान समर्पित करेंगे। प्रभार प्रतिवेदन, विरमित आदेश/त्यागपत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही नियंत्री पदाधिकारी इनके प्रभार प्रतिवेदन को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।
- अभ्यर्थी, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज नहीं लेने-देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

10. बिहार सेवा संहिता के नियम 52 के अन्तर्गत अभ्यर्थी जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त अपनी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियंत्री पदाधिकारी को योगदान के समय निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।
11. निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं देने अथवा निर्धारित तिथि तक अवधि विस्तार का आवेदन नहीं देने पर उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी। इसके लिए भविष्य में इनका कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
12. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
13. नवनियुक्त सहायक प्राध्यापक (कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इंजी०) को पदस्थापित संस्थान में योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
14. अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

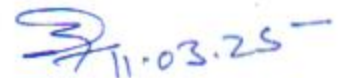
बिहार राज्यपाल के आदेश से

 11.03.25

सरकार के संयुक्त सचिव,  
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (II) नियुक्ति-02/2024/ 1185 /पटना, दिनांक - 11/03/2025

प्रतिलिपि - प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (सी०डी० के साथ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 11.03.25

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (II) नियुक्ति-02/2024/ 1185 /पटना, दिनांक - 11/03/2025

प्रतिलिपि - प्रधान महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषांगार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

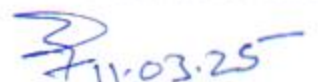
 11.03.25

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (II) नियुक्ति-02/2024/ 1185 /पटना, दिनांक - 11/03/2025

प्रतिलिपि - माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्राचार्य, सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/सभी पदाधिकारी, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं संबंधित सहायक प्राध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित प्राचार्य को निदेशित किया जाता है कि नवनियुक्त सहायक प्राध्यापक (कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इंजी०) के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों की जाँच संबंधित संस्थानों/कार्यालयों से कराकर उसका प्रतिवेदन विभाग को तीन माह के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

 11.03.25

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (II) नियुक्ति-02/2024/

/पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि – श्री ..... पिता- ..... ग्राम/मो० .....

..... जिला- ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



*31.03.25*

सरकार के संयुक्त सचिव,  
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,  
बिहार, पटना।